<u>सीसीटीएनएस/ विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन</u>

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ 226006

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–99/2018–2 दिनांकःफरवरी 08 , 2019

सेवा में,

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयः– **सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत <u>विवेचना के डिजिटाइजेशन</u> हेतु प्रस्तावित प्रिन्टर हेतु अधिकतम दर ₹ 35000 में उपलब्ध हो रही प्रिन्टर को क्रय किये जाने तथा पेपर प्रति रिम को अधिकतम ₹ 240 पर उपलब्ध हो रहे संख्यानुसार एवं डेस्कटाप/ कार्टेज /टोनर को विभागीय व शासकीय नियमों के अधीन आवंटित बजट के सापेक्ष निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप या उच्चीकृत मानक के अनुसार <u>क्रय किये जाने, बजट के उपभोग किये जाने, पूर्ण क्रय प्रक्रिया के बाद उपभोग के उपरान्त अवशेष धनराशि की स्थिति की आख्या</u> परिक्षेत्रवार उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

सन्दर्भः– **इस मुख्यालय का समांक पत्र दिनांक 27.11.2018, 29.11.2018, 05.12.2018, 26.12.2018, 08.01.2019, 22.1.2019, 25.1.2019**

कृपया अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0सरकार में दिनांक 15.11.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 29.11.2018 को मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने हेतु दिनांक 22.11.2018 को उ0प्र0शासन की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रथम चरण में जनपदीय थानों हेतु सीसीटीएनएस के कियान्वयन एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा <u>विवेचना के डिजिटाइजेशन</u> हेतु निर्गत निर्देश के क्रम में Desktop, UPS, Paper, Printer, cartridge (Toner) सीसीटीएनएस में उपलब्ध बजट के सापेक्ष जनपदों को धनराशि आवंटित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में इस मुख्यालय के सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत <u>विवेचना के डिजिटाइजेशन</u> हेतु प्रस्तावित Printer हार्डवेयर को अधिकतम दर ₹ 35000 पर ही वर्तमान में उपलब्ध हो रहे प्रिन्टर को तत्काल विभागीय व शासकीय नियमों के अधीन आवंटित बजट के सापेक्ष निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप या उच्चीकृत मानक के अनुसार निर्देशानुसार क्रय किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. उक्त क्रय प्रकिया के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्व प्रस्तावित प्रति रिम पेपर की अधिकतम दर ₹ 200–00 निर्धारित की गयी है। इस निर्धारित दर पर मार्केट सर्वे के अनुसार निर्धारित दर पर प्रति रिम पेपर क्रय नहीं हो पा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त वर्तमान में प्रति रिम पेपर की अधिकतम दर को ₹ 200–00 से बढ़ाकर ₹ 240 किया गया है। इससे जनपदों में GeM पर आ रही समस्या का निस्तारण हो सके और क्रय प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण किया जा सके।

4. **उपरोक्त प्रकरण में 05 उपकरणों/पेपर के क्रय हेतु जनपदों से प्राप्त सूचना की समीक्षा की गयी जिसमें जनपद–मुजफ्फरनगर, रामपुर, हमीरपुर, गोण्डा द्वारा समस्त कार्यदेश समय से जारी करते हुए बजट के आलोक में व्यय एवं अवशेष की सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जो सराहनीय है।**

5. **इसके साथ ही जनपद–फतेहपुर, हापुड़ द्वारा अभी तक कोई कार्यदेश जारी किये जाने की सूचना उपलब्ध नहीं करायी है। जनपद– मथुरा, रायबरेली द्वारा अभी तक मात्र 1 से 2 उपकरणों/पेपर का ही कार्यदेश जारी किया गया है। जनपद– आजमगढ़, बुदन्हशहर, हाथरस कासगंज, लखनऊ, महोबा द्वारा अभी तक 3–4 उपकरणों/पेपर का ही कार्यदेश जारी किया गया है।**

6. **प्रकरण में दिनांक 27.11.2018 को बजट आवंटित किये जाने के लगभग 74 दिवस व्यतीत के उपरान्त भी पूर्ण क्यादेश फर्म को निर्गत नहीं किया गया है। इस स्थिति की समीक्षा पर अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें द्वारा अत्यन्त खेद व्यक्त किया गया है।**

7. अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अति अल्प अवधि ही अवशेष रह गयी है। सीसीटीएनएस में आवंटित बजट के सापेक्ष **प्रिन्टर हेतु अधिकतम दर ₹ 35000 में** वर्तमान में उपलब्ध हो रहे प्रिन्टर को **क्रय किये जाने तथा पेपर प्रति रिम को अधिकतम ₹ 240 पर उपलब्ध हो रहे संख्यानुसार क्रय किये जाने एवं डेस्कटाप/कार्टेज /टोनर** क्रय किये जाने हेतु निर्देशित करें तथा प्रकरण में शिथिलता न बरती जाय, साथ ही इस मुख्यालय के निर्देशानुसार बजट का **उपभोग तत्काल किये जाने के साथ ही पूर्ण क्रय प्रक्रिया का सर्वोच्च प्राथमिकता पर निस्तारित कराते हुए अवशेष धनराशि की स्थिति** से 03 दिवस में अवगत कराया जाय, ताकि अवशेष धनराशि हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही व्यय किये जाने के पृथक से निर्देश जनपदों को निर्गत किये जा सकें और प्राप्त स्थिति की सूचना अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को प्रस्तुत किया जा सके।

8/2/2019

(शहाब रशीद खॉ)
पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक,
निमित्त अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. **अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।**
2. **अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।**
3. **पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफीसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**
4. **वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।**
5. समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) उत्तर प्रदेश।
8. ऑकिक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, को जनपद हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष **उपभोग किये जाने, पूर्ण क्रय प्रक्रिया के बाद उपरान्त अवशेष धनराशि की स्थिति की आख्या 04 दिवस में** अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जाय।
9. श्री आशीष जायसवाल, प्रोग्रामर ग्रेड—2, प्रभारी हार्डवेयर, उ0प्र0पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को Desktop, UPS, Paper, Printer, cartridge (Toner) के **पूर्ण क्रय की स्थिति हेतु जनपदों से समन्वय किये जाने व आख्या आख्या 03 दिवस में** अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जाय।
10. प्रभारी सीसीटीएनएस, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
11. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए को क्यू—मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
12. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।